अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 12/353

1. श्रीमती मन्नी बाई बेवा मंगला आयु 85 वर्ष जाति माली (मृतक) ।
2. श्रीमती छोटी बाई पत्नी स्व0 कजोड आयु 60 वर्ष जाति माली ।
3. लालचन्द आत्मज कजोड आयु 30 वर्ष जाति माली ।
4. बंशीलाल आत्मज कजोड जाति माली आयु 25 वर्ष ।
5. राजेश बाई पुत्री कजोड आयु 17 वर्ष जाति माली नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता छोटी बाई पत्नी कजोड जाति माली ।
6. विमल आत्ज स्वर्गीय कजोड आयु 15 वर्ष जाति माली नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता छोटी बाई पत्नी कजोड जाति माली ।
7. धापू बाई बेवा स्वर्गीय जुवारया आयु 40 वर्ष जाति माली ।
8. दुर्गालाल आत्मज स्वर्गीय जुवारया आयु 25 वर्ष जाति माली ।
9. श्रीमती पाना बाई पुत्री स्वर्गीय मंगला आयु 45 वर्ष जाति माली ।
10. श्रीमती अमरी बाई पुत्री स्वर्गीय मंगला आयु 35 वर्ष जाति माली ।
11. श्रीमती तुलसा बाई पुत्री स्वर्गीय मंगला आयु 30 वर्ष जाति माली निवासीगण ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. श्योनानायण आत्मज अमरा आयु 65 वर्ष जाति माली ।
2. रामनारायण आत्मज अमरा आयु 60 वर्ष जाति माली ।
3. बाबूलाल आत्मज रामनारायण आयु 40 वर्ष जाति माली ।
4. ईश्वर आत्मज रामनारायण आयु 35 वर्ष जाति माली ।
5. मूलचन्द आत्मज रघुनाथ आयु 45 वर्ष जाति माली ।
6. चतुर्भुज आत्मज मांगीलाल आुय 75 वर्ष जाति माली मृतक जरिये कायममुकामान :—
   - 6/1. चेनसुख्या आत्मज स्वर्गीय चतुर्भुज जाति माली ।
   - 6/2. देवचन्द आत्मज स्वर्गीय चतुर्भुज जाति माली (मृतक) ।
   - 6/3. हेमराज आत्म स्वर्गीय चतुर्भुज जाति माली (मृतक) ।
   - 6/4. भंवर लाल आत्मज स्वर्गीय हेमराज जाति माली ।
   - 6/5. लक्ष्मण आत्मज स्वर्गीय हेमराज जाति माली ।
   - 6/6. रामेश्वर आत्मज स्वर्गीय हेमराज जाति माली ।
   - 6/7. श्रीमती केली बाई बेवा देवचन्द जाति माली ।
   - 6/8. राजेश आत्मज देवचन्द जाति माली ।
7. किशोर आत्मज स्वर्गीय मांगीलाल आयु 70 वर्ष जाति माली ।

8. रामदेव आत्मज स्वर्गीय गोपाल आयु 45 वर्ष जाति माली ।
9. सत्यनारायण आत्मज जगन्नाथ आयु 50 वर्ष जाति माली ।
10. बद्री आत्मज धन्ना आयु 50 वर्ष जाति माली ।
11. रामचन्द्र आत्मज लादू जाति माली मृतक
12. श्रीमती सुन्दर आयु 75 वर्ष बेवा रामचन्द्र जाति माली ।
13. देवलाल आत्मज रामचन्द्र आयु 35 वर्ष जाति माली ।
14. जगदीश आत्मज लादू आयु 60 वर्ष जाति माली निवासीगण ग्राम खानपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2012 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 72/दावा/2002

1. श्योनानायण आत्मज अमरा आयु 65 वर्ष जाति माली ।
2. रामनारायण आत्मज अमरा आयु 60 वर्ष जाति माली ।
   2/1. बाबूलाल आत्मज रामनारायण आयु 40 वर्ष जाति माली ।
   2/2. ईश्वर आत्मज रामनारायण आयु 35 वर्ष जाति माली ।
3. मूलचन्द आत्मज रघुनाथ आयु 45 वर्ष जाति माली ।
4. चतुर्भुज आत्मज मांगीलाल आुय 75 वर्ष जाति माली मृतक जरिये कायममुकामान :–
5. किशोर आत्मज स्वर्गीय मांगीलाल आयु 70 वर्ष जाति माली ।
6. रामदेव आत्मज स्वर्गीय गोपाल आयु 45 वर्ष जाति माली ।
7. सत्यनारायण आत्मज जगन्नाथ आयु 50 वर्ष जाति माली ।
8. बद्री आत्मज धन्ना आयु 50 वर्ष जाति माली ।
9. रामचन्द्र आत्मज लादू जाति माली मृतक
   9/1. श्रीमती सुन्दर आयु 75 वर्ष बेवा रामचन्द्र जाति माली ।
   9/2. देवलाल आत्मज रामचन्द्र आयु 35 वर्ष जाति माली ।
10. जगदीश आत्मज लादू आयु 60 वर्ष जाति माली निवासीगण ग्राम खानपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. श्रीमती मन्नी बाई बेवा मंगला आयु 85 वर्ष जाति माली (मृतक) ।
2. कजोड आत्मज मंगला जाति माली निवासी ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्रीमती छोटी बाई पत्नी स्व0 कजोड आयु 60 वर्ष जाति माली ।
   2/2. लालचन्द आत्मज कजोड आयु 30 वर्ष जाति माली ।
   2/3. बंशीलाल आत्मज कजोड जाति माली आयु 25 वर्ष ।

2/4. राजेश बाई पुत्री कजोड आयु 17 वर्ष जाति माली नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता छोटी बाई पत्नी कजोड जाति माली ।

2/5. विमल आत्ज स्वर्गीय कजोड आयु 15 वर्ष जाति माली नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता छोटी बाई पत्नी कजोड जाति माली ।

3. जुवारया आत्मज मंगला आयु 53 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. श्रीमती पाना बाई पुत्री स्वर्गीय मंगला आयु 45 वर्ष जाति माली ।
5. श्रीमती अमरी बाई पुत्री स्वर्गीय मंगला आयु 35 वर्ष जाति माली ।
6. श्रीमती तुलसा बाई पुत्री स्वर्गीय मंगला आयु 30 वर्ष जाति माली निवासीगण ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. श्री मंगला आत्मज शोला जाति माली निवासी ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी नोटा– न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 27.02.2003 के अनुसार मृतक मंगला का नाम रिकॉर्ड पर से हटाया गया ।
8. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर महोदय, बून्दी ।
9. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार साहब तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2012 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 31.12.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नवेद केसर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 08.06.2012 निरस्त किया जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 31.12.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

31/12/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/353

1. श्रीमती मन्नी बाई बेवा मंगला आयु 85 वर्ष जाति माली (मृतक) ।
2. श्रीमती छोटी बाई पत्नी स्व0 कजोड आयु 60 वर्ष जाति माली ।
3. लालचन्द आत्मज कजोड आयु 30 वर्ष जाति माली ।
4. बंशीलाल आत्मज कजोड जाति माली आयु 25 वर्ष ।
5. राजेश बाई पुत्री कजोड आयु 17 वर्ष जाति माली नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता छोटी बाई पत्नी कजोड जाति माली ।
6. विमल आत्ज स्वर्गीय कजोड आयु 15 वर्ष जाति माली नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता छोटी बाई पत्नी कजोड जाति माली ।
7. धापू बाई बेवा स्वर्गीय जुवारया आयु 40 वर्ष जाति माली ।
8. दुर्गालाल आत्मज स्वर्गीय जुवारया आयु 25 वर्ष जाति माली ।
9. श्रीमती पाना बाई पुत्री स्वर्गीय मंगला आयु 45 वर्ष जाति माली ।
10. श्रीमती अमरी बाई पुत्री स्वर्गीय मंगला आयु 35 वर्ष जाति माली ।
11. श्रीमती तुलसा बाई पुत्री स्वर्गीय मंगला आयु 30 वर्ष जाति माली निवासीगण ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्योनानायण आत्मज अमरा आयु 65 वर्ष जाति माली ।
2. रामनारायण आत्मज अमरा आयु 60 वर्ष जाति माली ।
3. बाबूलाल आत्मज रामनारायण आयु 40 वर्ष जाति माली ।
4. ईश्वर आत्मज रामनारायण आयु 35 वर्ष जाति माली ।
5. मूलचन्द आत्मज रघुनाथ आयु 45 वर्ष जाति माली ।
6. चतुर्भुज आत्मज मांगीलाल आुय 75 वर्ष जाति माली मृतक जरिये कायममुकामान :–
   - 6/1. चेनसुख्या आत्मज स्वर्गीय चतुर्भुज जाति माली ।
   - 6/2. देवचन्द आत्मज स्वर्गीय चतुर्भुज जाति माली (मृतक) ।
   - 6/3. हेमराज आत्म स्वर्गीय चतुर्भुज जाति माली (मृतक) ।
   - 6/4. भंवर लाल आत्मज स्वर्गीय हेमराज जाति माली ।
   - 6/5. लक्ष्मण आत्मज स्वर्गीय हेमराज जाति माली ।
   - 6/6. रामेश्वर आत्मज स्वर्गीय हेमराज जाति माली ।
   - 6/7. श्रीमती केली बाई बेवा देवचन्द जाति माली ।
   - 6/8. राजेश आत्मज देवचन्द जाति माली ।
7. किशोर आत्मज स्वर्गीय मांगीलाल आयु 70 वर्ष जाति माली ।
8. रामदेव आत्मज स्वर्गीय गोपाल आयु 45 वर्ष जाति माली ।
9. सत्यनारायण आत्मज जगन्नाथ आयु 50 वर्ष जाति माली ।
10. बद्री आत्मज धन्ना आयु 50 वर्ष जाति माली ।
11. रामचन्द्र आत्मज लादू जाति माली मृतक
12. श्रीमती सुन्दर आयु 75 वर्ष बेवा रामचन्द्र जाति माली ।
13. देवलाल आत्मज रामचन्द्र आयु 35 वर्ष जाति माली ।

14. जगदीश आत्मज लादू आयु 60 वर्ष जाति माली निवासीगण ग्राम खानपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 31.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 व 92ए के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 983 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1126 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 1616 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । ग्राम टोपा तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 454 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 457 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा कुल 02 किता की 07 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि श्रीमती भूरी पत्नी भूरा जाति माली के खाते की थी । भूरी ने उसके पति भूरा की मृत्यु के बाद उनकी पूर्व सहमति से वादी क्रम 1 श्योनारायण को गोद पुत्र बना लिया था । श्रीमती भूरी का देहावसान करीब 30 वर्षो पूर्व हो गया था । श्रीमती भूरी की मृत्यु के पश्चात् से उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है । प्रतिवादी क्रम 1 श्रीमती मन्नी बाई के स्वर्गीय पति तथा प्रतिवादी क्रम 2 से 6 के पिता मंगला आत्मज शोजी ने राजस्व रिकॉर्ड में अनाधिकृत, अवैधानिक रूप से अपना नाम दर्ज करवा लिया । वादीगण उक्त भूमि पर करीब 35 वर्षो से अपने पूर्वजों के समय से ही प्रतिवादीगण क्रम 1 से 6 एवं उनके पूर्वज स्वर्गीय मंगला की जानकारी में खुल्लम खुल्ला रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । इस कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण उक्त भूमि के खातेदार बन चुके हैं ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को संयुक्त रूप से हिस्सा बराबर के सहखातेदार आसामी घोषित किया जावे तद्नुसार प्रतिवादीगण क्रम 1 से 7 अथवा उनके पूर्वज श्री मंगला का नाम राजस्व अभिलेख मेंसे हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण क्रम 1 से 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी में अपने नाम का नामान्तरकरण नहीं खुलवाएं ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2012 के द्वारा वाद वादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए दावा डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया कि वादी श्योनारायण द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदार भूरा की पत्नी भूरी द्वारा उसे गोद लेने के आधार पर विवादित भूमि पर अपना मालिकाना अधिकार बताकर उक्त भूमि अपने व अन्य वादीगण के खाते में दर्ज करने का निबेदन किया था । वादी श्योनारायण द्वारा गोद के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री कर दिया । प्रतिवादीगण के पूर्वज स्वर्गीय मंगला के पक्ष में दिनांक 30.06.60 को स्व0 भूरा की पत्नियों भूरी बाई एवं रोडी बाई द्वारा रजिस्टर्ड बख्शीसनामा निष्पादित किया था जिसके आधार पर स्व0 मंगला का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया गया था । उक्त बख्शीसनामा को निरस्त करवाये बिना वादीगण को वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । राजस्व रिकॉर्ड में मंगला का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 14 ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था । वादग्रस्त आराजी भूरा जी के खाते की थी । जिसके बाबत् वादीगण का यह कथन है कि भूरा की पत्नी भूरी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात् उनकी पूर्व सहमति से श्योनारायण को गोद लिया है । भूरी की मृत्यु 30 वर्ष पूर्व हो चुकी है उनकी मृत्यु के बाद से वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है । प्रतिवादीगण ने गलत रूप से अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है । यह कथन करते हुए वादीगण द्वारा हक घोषणा का दावा पेश किया गया था । अपीलान्ट के द्वारा दावे को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया गया था जिसमें यह कथन किया गया था कि भूरा की दोनों पत्नियों भूरी एवं रोडी से वादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । भूरा की दोनों पत्नियॉ विधिवत पत्नियॉ थीं । भूरा को मरे हुए करीब 65–70 वर्ष हो चुके हैं जिस समय हिन्दू विवाह अधिनियम लागू नहीं हुआ था । किसी एक पत्नी को गोद लेने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । श्योनारायण को भूरा एंव भूरा की पत्नी ने कभी भी गोद नहीं लिया । भूरा की मृत्यु के बाद भूरा की पत्नियॉ भूरी एवं रोडी द्वारा दिनांक 30.05.1960 को रजिस्टर्ड बख्शीसनामा वादग्रस्त आराजी के बाबत् प्रतिवादीगण के पिता एवं पति के पक्ष में निष्पादित किया था तभी से प्रतिवादीगण इस आराजी पर काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री करने में त्रुटि की है । वादी ने गोद के बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किया था फिर भी दावा डिक्री करने में भूल की है । मंगला के पक्ष में रजिस्टर्ड बख्शीसनामा है जिस पर विश्वास नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । जब तक बख्शीसनामा को निरस्त नहीं करवाया जाता है तब तक वादीगण को वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार प्रदान नहीं माने जा सकते । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की पालना हो चुकी है । वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते में दर्ज हो चुकी है । मंगला ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में सन् 1960 में पेश किया था जिसमें राजीनामा के आधार पर दावा खारिज करवा लिया था । इस राजीनामे में वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का आधिपत्य स्वीकार किया था । यह दस्तावेज प्रदर्श– 3 के रूप में पत्रावली में सलग्न है । जब पारिवारिक विभाजन में उस राजीनामे को स्वीकार किया गया है तो उसके विपरीत कथने करने से अपीलान्टगण स्टोप्ड हैं । प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाया है, कोई रिवटल में साक्ष्य पेश नहीं की है । वादीगण ने अपना दावा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है । दावा हक घोषणा का है और गोद का प्रश्न Incidental है तो राजस्व न्यायालय इसका निर्धारण करेगा । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2012 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (21) 2014 पेज 436 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 प्रदर्श – 1 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मंगला पि0 शोजी जाति माली के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता 74 पुराना खाता 72 की आराजी मंगला के खाते में दर्ज है । उपखण्ड अधिकारी, नैनवा के समक्ष दावा संख्या 15/1977 में पेश किये गये राजीनामा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 3 संलग्न है । उपखण्ड अधिकारी, नैनवा का आदेश दिनांक 24.02.1997 प्रदर्श– 4, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2034 प्रदर्श–5, खसरा गिरदावरी संवत् 2033 से 2034 प्रदर्श– 6 संलग्न हैं ।

10. बयानों में श्योनारायण पीडब्ल्यू–1, औंकार पीडब्ल्यू–2, मोहन पीडब्ल्यू–3, जैलाराम पीडब्ल्यू–4 कराये हैं ।

11. प्रतिवादी की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य नहीं करवाई गई है । उनके द्वारा दस्तावेज में बख्शीसनामे की प्रमाणित प्रति पेश की गई है परन्तु उस प्रदर्श नहीं करवाया गया है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर निम्नांकित तनकीयात की थीं जिस पर हम विस्तृत विवेचन किया जाना आवश्यक समझते हैं :–

तनकी नं0 1 :– **आया वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से साबित काश्त चले आ रहे हैं और खातेदार आगामी घोषित करवाने के अधिकारी हैं** – इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । वादीगण ने दावा यह कथन करते हुए पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी भूरी पत्नी भूरा के खाते में थी और भूरी ने उनके पति भूरा की मृत्यु के पश्चात् उनकी पूर्व सहमति से वादी क्रम 1 श्योनारायण को गोदपुत्र बना लिया था । भूरी की मृत्यु 30 वर्ष पूर्व हो चुकी है । भूरी की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त आराजी पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण के पिता एवं पति

मंगला ने वादग्रसत आराजी में अपना नाम गलत रूप से दर्ज करवा लिया है । दावे में यह भी कथन किया गया है कि मंगला ने एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का वादग्रस्त आराजी के बाबत् उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में पेश किया था जिसका क्रम संख्या 15/दावा/1977 था । इस दावे में राजीनामा हो जाने के बाद दावे को वादी ने खारिज करवा लिया । राजीनामे की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण का अधिपत्य एवं अधिकार माना गया । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 व 2 संलग्न है उसमें वादग्रस्त आराजी मंगला के खाते में दर्ज है । प्रदर्श– 3 राजीनामे की प्रमाणित प्रति है जो कि दावा संख्या 15/1977 में पेश किया गया था । यह राजीनामा न्यायालय के द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है और इस राजीनामे के आधार पर वादी मंगला का दावा खारिज किया गया है । वादी अपने दावे में यह कथन करते हैं कि श्योनारायण को भूरा की पत्नी भूरी ने गोद लिया था परन्तु उनके द्वारा भूरा के खाते की कोई नकल जमाबन्दी पेश नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित हो कि वादग्रस्त आराजी भूरा के खाते से मंगला के खाते में आई हो । यदि तर्क के लिए वादी के कथनों को सही मान भी लिया जावे तो भी गोद के आधार पर सिर्फ श्योनारायण वादी क्रम 1 ही भूरा के खाते की आराजी का खातेदार घोषित होने का अधिकारी होगा न कि अन्य वादीगण । जहॉ तक राजीनामे का प्रश्न है यह राजीनामा दावा संख्या 15/77 में पेश किया गया है । इस राजीनामे के आधार पर मंगला के धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा आगे नही चलाने के कथन के आधार पर खारिज किया गया है । राजीनामे के आधार पर वादीगण को हक घोषणा की कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है और यदि राजीनामे में यह भी अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के अधिकार एवं अधिपत्य में रहेगी तो भी बिना किसी विधिक दस्तावेज के वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी मंगला के खाते में दर्ज है । ऐसी स्थिति में बिना विधिक दस्तावेज के वादीगण को इस आराजी का खातेदार कृषक घोषित नहीं किया जा सकता । वादीगण ने कुछ नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 5 एवं 6 के रूप में पेश की है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2034 के कॉलम संख्या 16 में अमरा पुत्र मोंगा का नाम दर्ज है और नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2033 से 2034 में कॉलम संख्या 21 में अमरा पुत्र मोंगा का नाम दर्ज है । इन दो खसरा गिरदावरी के अलावा अन्य कोई दस्तावेज वादीगण ने अपने कब्जे के समर्थन में पेश नहीं किया है । यदि इन दोनों खसरा गिरदावरी के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर तत्समय अमरा का कब्जा मान भी लिया जावे तो भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी रामनारायण अमरा का पुत्र है शेष वादीगण अमरा के वारिस नहीं है । इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं उनके आधार पर वादीगण को वादग्रस्त आराजी पर खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता । इस प्रकार यह तनकी वादीगण के खिलाफ तय पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को वादीगण के पक्ष में तय करने में विधिक त्रुटि की है ।

तनकी नं0 02 :– **आया वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण अपने पूर्वज भूरी, रोडी द्वारा करवाये गये बख्शीसनामा दिनांक 30.05.1960 मांगला के समय से काबिज हैं** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । यद्यपि प्रतिवादीगण ने पत्रावली में एक बख्शीसनामे की प्रमाणित प्रति पेश की है जो कि भूरी, रोडी बेवा भूरा जी के द्वारा मंगला के पक्ष में निष्पादित किया जाना प्रतीत होता है । परन्तु इस दस्तावेज को उन्होंने प्रदर्श नहीं करवाया है और न ही कोई मौखिक साक्ष्य उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई है । इस प्रकार साक्ष्य के अभाव में यह तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को प्रतिवादीगण के खिलाफ ही तय किया है ।

तनकी नं0 03 :– **अनुतोष** :– तनकी नम्बर 1 वादीगण के खिलाफ और तनकी नम्बर 2 प्रतिवादीगण के खिलाफ तय पायी जाती है । वादी को अपना वाद स्वयं सिद्ध करना होता है । प्रतिवादी की किसी कमजोरी अथवा गलती का फायदा वादी को नहीं दिया जा सकता । वादी अपने दावे को तनकी नम्बर 1 में किये गये विवेचन के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये हैं । तद्नुसार दावा वादी खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित कर दावा वादी डिक्री किया है जो खारिज होने योग्य है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 08.06.2012 निरस्त किया जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा